सूचना के अधिकार के लिए अंतहीन संघर्ष

माधव गोडबोले

सालों की कवायद के बाद केन्द्र सरकार ने 25 जुलाई 2000 को सूचना की स्वतंत्रता का विधेयक सदन में पेश कर दिया। यह एक उपलब्धि माना जा सकता है क्योंकि गत पांच सालों में संयुक्त मोर्चा की दो सरकारें भी इस विधेयक को सदन में नहीं रख पाई थीं। भाजपा व उसके सहयोगी दलों ने विधेयक को सदन में रख तो दिया है पर इसको सदन में पारित करवाना उसके लिए मशक्कत भरा काम होगा। इस विधेयक में अब भी काफी पेंच हैं जिन्हें दुरुस्त करके ही विधेयक के उद्देश्यों पर खरा उतरा जा सकता है।

सर्वप्रथम तो इस विधेयक का शीर्षक ही संदेहास्पद है। हम जानते हैं कि सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है। संसद में पेश किए गए इस विधेयक के साथ जो उद्देश्य और कारण पक्ष संलग्न हैं उसमें कहा गया है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 19 एवं मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अनुच्छेद 19 के अनुरूप है। इसलिए इस विधेयक को मात्र सूचना की स्वतंत्रता तक सीमित रखने का कोई औचित्य नहीं है जो स्वयं सरकारी तंत्र की सनक पर निर्भर है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को कोई भी अधिनियम कमतर नहीं कर सकता।

दरअसल इस विधेयक का उद्देश्य संविधान द्वारा प्रदत्त सूचना के अधिकार को कार्य रूप में परिणत करना होना चाहिए। सूचना की स्वतंत्रता का नाम देने से विधेयक का उद्देश्य सीमित हो जाता है। इसीलिए इस विधेयक को सूचना की स्वतंत्रता 2000 की बजाय सूचना का अधिकार 2000 कहा जाना ज़्यादा उपयुक्त होगा।

विधेयक के उद्देश्य पत्र के पांचवें अनुच्छेद में कहा गया है कि यह कानून स्थिर, ईमानदार, पारदर्शी व समर्थ सरकार के उद्देश्य के अनुरूप होगा। लेकिन यहां यह स्पष्ट नहीं है कि इस कानून से सरकार की स्थिरता का क्या सम्बंध है। इसलिए उद्देश्य पत्र के अनुच्छेद 5 में उल्लेखित 'stable' वाली पंक्ति को हटाया जा सकता है।

दरअसल सूचना की स्वतंत्रता विधेयक का उद्देश्य संविधान द्वारा प्रदत्त सूचना के अधिकार को कार्य रूप में परिणत करना होना चाहिए। सूचना की स्वतंत्रता का नाम देने से विधेयक का उद्देश्य सीमित हो जाता है। इसीलिए इस विधेयक को सूचना की स्वतंत्रता 2000 की बजाय सूचना का अधिकार 2000 कहा जाना ज़्यादा उपयुक्त होगा।

कानून कहां लागू होगा

इस विधेयक के बारे में अगला सवाल यह है कि यह कानून आखिर लागू कहां होगा। आदर्श स्थिति में इसे सरकारी क्षेत्रों के साथ-साथ समाज के तमाम क्षेत्रों पर लागू होना चाहिए। इस विधेयक के लागू होने का दायरा सिर्फ सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित है, जबकि इस कानून की परिधि में निजी क्षेत्रों, पंजीकृत संस्थानों, ट्रेड यूनियनों, धर्मार्थ व अन्य ट्रस्टों तथा केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत अन्य तमाम संगठनों को भी लाया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि एक नागरिक के सूचना के अधिकार को इन तमाम इकाइयों के संदर्भ में लागू किए जाने की ज़रूरत होती है। आज जिस तेज़ी से निजी क्षेत्र का दायरा बढ़ रहा है और सरकारी क्षेत्रों में कटौती होते जाने का खतरा मण्डरा रहा है, उसे देखते हुए तो यह खास तौर पर प्रासंगिक हो जाता है। लोगों की परेशानियों के प्रति गैर जवाबदेही और असंवेदनशीलता का व्यवहार दर्शाने वाली एक सिर्फ सरकारी नौकरशाही ही नहीं है, निजी क्षेत्र भी इनके कंधों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इसलिए सरकार के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों से भी पारदर्शिता व जवाबदारी की अपेक्षा की जानी चाहिए।

इस विधेयक की प्रस्तावना में कहा गया है कि सूचना की स्वतंत्रता जन हित के पक्ष में होगी। लेकिन जनहित को परिभाषित करने का काम सरकार पर छोड़ दिया जाना खतरनाक साबित हो सकता है। और फिर सरकार को जनहित तय करने का काम सौंपा भी क्यों जाए? यह सरकार ही है जो जिस जानकारी को नहीं देना चाहेगी उसे सार्वजनिक हित की आड़ लेकर गोपनीय बना देती है और इस कदम की वकालत भी करती है। सूचना के